

हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १९

सम्पादक : मगनभाई प्रभुदास देसाई

अंक १०

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाजी देसाजी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-१४

अहमदाबाद, शनिवार, ता० ७ मजी, १९५५

वार्षिक मूल्य देशमें रु० ६
विदेशमें रु० ८; शि० १४

गोरक्षा और गोवध

गोरक्षा हिन्दू धर्मकी केन्द्रीय वस्तु, उसका मर्म है। मनुष्यने अपने विकासक्रममें जो अत्यन्त आश्चर्यकारी कदम उठाये हैं, गोरक्षा उनमें से एक है। वह मनुष्यको मानव-समाजकी सीमाके बाहर ले जाती है। मेरे लिये गायका अर्थ मनुष्यसे नीचेका सारा प्राणि-जगत् है। गोरक्षा मनुष्यको गोया यह आदेश देती है कि वह सारी चेतन-सृष्टिके साथ अपनी अकेला महसूस करे।

यंग जिडिया, ६-१०-२१

मुसलमानोंका कहना है कि अइस्लाम अन्हें गायको मारनेकी अजाजत देता है। असलिये मेरी रायमें मुसलमानसे जबरदस्ती गोवध बन्द कराना असे जबरदस्ती हिन्दू बनाने जैसा है। मेरी रायमें तो स्वराज्यके बाद भी यदि हिन्दू बहुमत मुस्लिम अल्पमतको कानूनके जरिये गोवध-बन्दी स्वीकार करनेके लिये लाचार करे, तो उसका असा करना गलत और अनुचित होगा।

यंग जिडिया, २९-१-२६

गोवध कानूनके जरिये कभी बन्द नहीं कराया जा सकता। ज्ञान और शिक्षा और गायके प्रति दयाकी भावना ही असे बन्द करा सकती है।

हरिजन, १५-९-४६

प्रभाववाले हिन्दू बहुत बड़ी तादादमें यह झूठा विश्वास करने लगे हैं कि भारतका संघ-राज्य हिन्दुओंका है और असलिये अन्हें कानूनके जरिये अपने विश्वासको गैर-हिन्दुओंसे भी जबरन् मन-वानेका अधिकार है। असलिये यूनियनमें गायोंकी हत्याको रोकनेका कानून बनवानेके लिये सारे देशमें जोशकी अक लहर-सी फैल रही है।

* * *

सबसे पहले हम यह समझ लें कि धार्मिक अर्थमें गायकी पूजा ज्यादातर गुजरात, मारवाड़, अउत्तरप्रदेश और बिहारमें ही होती है। मारवाड़ी और गुजराती साहसी व्यापारी हैं असलिये अस सवाल पर वे सबसे ज्यादा जोरकी आवाज अठा सके हैं। लेकिन गोहत्याके खिलाफ आवाज अठानेके साथ अन्हें अपनी व्यापारी बुद्धिको भारतके पशुधनकी रक्षाका कठिन प्रश्न हल करनेमें भी लगाना चाहिये था, जो अन्होंने नहीं किया है।

* * *

अब सवाल यह है कि जब गाय अपने पालन-पोषणके खर्चसे भी कम दूध देने लगती है या दूसरी तरहसे नुकसान पहुंचानेवाला बौझ बन जाती है, तब बिना मारे असे कैसे बचाया जा सकता है? अस सवालका जवाब थोड़ेमें अस तरह दिया जा सकता है:

(१) हिन्दू गाय और उसकी सन्तानके प्रति अपना कर्तव्य पूरा करें। अगर वे वैसा करें तो हमारे जानवर भारत और

www.vinoba.in

दुनियाके गौरव बन सकते हैं। आज अससे बिलकुल अलटी स्थिति है।

(२) जानवरोंकी नस्ल-सुधारका शास्त्र सीखकर गायकी रक्षा की जा सकती है। आज तो अस काममें पूरी अंधाधुंधी चलती है।

(३) हिन्दुस्तानमें आज जिस बेरहम तरीकेमे बैलोंको बधिया किया जाता है उसकी जगह पश्चिमका अधिक सद्ग्य तरीका अपनाया जाय।

(४) पिंजरापोलोंके कामका पूरा-पूरा सुधार किया जाय। आज तो हर जगह पिंजरापोलोंकी व्यवस्था असे लोग करते हैं जिन्हें अस कामकी कोअी जानकारी नहीं है। फलतः अुनके काममें कोअी योजना नहीं होती और व्यवस्था अज्ञानपूर्वक चलायी जाती है।

(५) जब ये महत्त्वके काम कर लिये जायंगे, तो मुसलमान खुद किसी दूसरे कारणसे नहीं तो अपने हिन्दू भायियोंके ही खातिर मांस या दूसरे मतलबके लिये गायको न मारनेकी आवश्यकता समझ लेंगे।

पाठक देखेंगे कि अूपर बताया गयी जरूरतोंके पीछे असली बात अहिंसा या भूतमात्रके प्रति दयाकी है। अगर अुस असली चीजको समझ लिया जाय तो बाकी सब आसान हो जाता है। जहां अहिंसा है वहां अपार धीरज, भितरी शान्ति, भले-बुरेका ज्ञान, त्याग और सच्चा ज्ञान भी होता है। गोरक्षा कोअी आसान काम नहीं है। अुसके नाम पर देशमें बहुत-सा पैसा बरबाद किया जाता है। फिर भी, अहिंसाके अभावके कारण हिन्दू गायके रक्षकके बजाय असे नाश करनेवाले बने हैं। गोरक्षाका काम भारतसे विदेशी हुकूमतको हटानेके कामसे भी ज्यादा कठिन है।

हरिजन, ३१-८-४७

गांधीजी

(अंग्रेजीसे)

गोसेवा

[दूसरा संस्करण]

लेखक : गांधीजी

अनु० रामनारायण चौधरी

अस संग्रहमें सच्ची गोरक्षा और गोसेवाके बारेमें गांधीजीके लेख अिकटुठे किये गये हैं। अन्होंने अक जगह कहा है: "मुझे कोअी पूछे कि हिन्दू धर्मका बड़ेसे बड़ा बाह्य स्वरूप क्या है, तो मैं गोरक्षा बताअूंगा।"

कीमत १-८-०

डाकखर्च ०-६-०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-१४

नयी आर्थिक नीतिके सिद्धान्त-२

ग्रामोद्योग

(क) हाथ-करघा और खादी

६. अपूरकी भूमिकाको ध्यानमें रखकर विचार किया जाय तो मालूम होगा कि कपड़ा-उद्योगका हाथ-करघा विभाग असी व्यवहार और मददका अधिकारी है, जो किसी उद्योगके विस्तार कर रहे विभागको मिलने चाहिये। कपड़ा-उद्योग जांच कमेटीने अन्दाज लगाया है कि हाथ-करघा उद्योगमें कुल १५ लाख आदमी काम करते हैं। जिस अन्दाजका आधार अिन आंकड़ों पर है कि प्रत्येक चालू करघे पर १.२५ आदमी काम करते हैं और देशमें चालू हाथ-करघोंकी कुल तादाद १२ लाख है। लेकिन हाथ-करघा बोर्डकी ताजी जनगणनाके अनुसार, जिसने चालू हाथ-करघोंका अन्दाज १९ लाख कृता है, अपुरोक्त आधार पर जिस विभागमें काम करनेवाले लोगोंकी संख्या २३,०७,५०० कृतान अनुचित नहीं होगा। कपड़ा-उद्योग जांच कमेटीने कामसे लगे हुये लोगोंका जो अनुपात निकाला है, उसकी तुलना श्री जे० बी० क्लार्क या सर अल्फ्रेड चेटरटन जैसे प्रमाणभूत लोगों या फ्रेड फार्थिंग कमेटी द्वारा बताये हुये आंकड़ोंसे करने पर मालूम होता है कि वह अनुपात जितना दरअसल होना चाहिये उससे कम है। अन्दाजका आधार चाहे जो हो, यह बात आज मान ली गयी है कि कपड़ा-उद्योगका हाथ-करघा विभाग काफी बड़ी संख्यामें लोगोंको काम देता है। और अगर काम करनेकी अपयुक्त स्थिति पैदा की जाय, और कच्चे माल तथा बाजारोंकी गारंटी दी जाय, तो वह न केवल दिनोंदिन अधिक मात्रामें मोटे और मध्यम श्रेणीके कपड़ेका बहुत बड़ा भाग तैयार करनेकी ही जिम्मेदारी ले सकता है, बल्कि आजकी अपेक्षा कहीं बड़ी संख्यामें लोगोंको काम भी दे सकता है। लेकिन इसके लिये यह जरूरी है कि आजके कपड़ा-मिलोंकी उत्पादन शक्तिके विस्तार पर रोक लगा दी जाय।

७. हाथ-करघा उद्योगकी उत्पादन-शक्ति और लोगोंको काम देनेकी शक्तिके अनुसार उसका विकास करनेके लिये सूत-उत्पादनका विकेन्द्रीकरण भी आवश्यक है। असे विकेन्द्रीकरणसे शासन और संगठन संबंधी कठिनाइयां कम हो जायंगी, जिनका मिलोंके सूतके समान बंटवारेकी व्यवस्था करनेमें सामना करना पड़ता है। जिस अद्देश्यकी प्राप्तिके लिये देशके हाथ-करघा उद्योगको अचित मदद दी जानी चाहिये, ताकि वह अम्बर चरखे जैसे सुधरे हुये चरखोंके जरिये अपना उत्पादन बढ़ा सके। अम्बर चरखा अकसा और मजबूत ज्यादा अंचे नम्बरका बेहतर सूत तैयार कर सकता है।

८. हाथ-करघोंको काफी मात्रामें सूत मिल सके, इसके लिये कपड़ा-उद्योग जांच कमेटीने मिलोंमें तकुअे बढ़ाने और करघोंके विस्तार पर रोक लगानेकी सिफारिश की है। मिलोंमें करघोंके विस्तार पर रोक लगानेके साथ साथ, दूसरी पंचवर्षीय योजनाके समयमें अधिक लोगोंको काम देनेके ध्येय तथा हाथ-करघा उद्योगकी जरूरतोंके साथ मेल खानेवाली नीति यह होनी चाहिये:

(क) नयी कताजी-मिलोंकी स्थापना पर रोक लगायी जाय;

(ख) मिलोंका अधिकतर सूत हाथ-करघोंके लिये सुरक्षित रखा जाय और अपयुक्त संस्थाओं द्वारा उसके न्याय-पूर्ण वितरणको निश्चित बनाया जाय;

(ग) हाथ-करघोंकी अतिरिक्त सूतकी आवश्यकताको हाथ-करघा उद्योगके लिये पूरी तरह सुरक्षित कर दिया जाय; और

(घ) अम्बर चरखे जैसे सुधरे हुये चरखों द्वारा हाथ-करघे सूतका उत्पादन बढ़ाया जाय।

९. अतिरिक्त सूतकी आवश्यकताको पूरी तरह चरखोंके लिये सुरक्षित रखना सर्वोच्च राष्ट्रीय महत्वकी चीज है। अम्बर चरखा रोजाना जो औसत सूत पैदा कर सकता है, उसके आधार पर कृता हुआ अन्दाज बताता है कि अिन चरखों द्वारा पैदा किया हुआ ३,६०० लाख पीण्ड सूत प्रत्यक्ष रूपमें ११।१ लाख कत्तिनों, धुननेवालों और ओटनेवालोंको पूरा काम दे सकता है और अप्रत्यक्ष रूपमें काफी बड़ी संख्यामें सुतारों तथा दूसरे हौशियार ग्रामीण कारीगरोंको रोजी दे सकता है। जिसमें चरखोंकी बनावट और अन्हें लोगोंको मुहैया करनेके लिये ९ करोड़ ६० लाख रुपयेकी पूंजी लगानी होगी। यह पूंजी मिलोंमें १० लाख ७५ हजार तकुअे बढ़ानेके लिये जो ३२ करोड़की पूंजी कृती गयी है उससे बहुत कम है। इसके अलावा, सुरक्षित रखनेकी जिस नीतिसे धीरे-धीरे खादी-उद्योगमें भी सुधार हो सकेगा। अपूर सुझाजी हुअी सही मूल्य-नीति अपनायी जाय, तो कपड़ा-उद्योगके हर विभागमें आवश्यक टेकनिकल सुधार किये जा सकते हैं और हाथ-बनी चीजों तथा मशीनकी बनी चीजोंके बीच आज जो अवांछनीय संघर्ष चला रहा है, उसे संतोषप्रद ढंगसे मिटाया जा सकता है।

(ख) गांवका तेल-उद्योग

१०. गांवके तेल-उद्योगका विकास जिस आवश्यकताको स्पष्ट रूपसे महसूस करने पर निर्भर करता है कि पोषक तत्वों और लोगोंको रोजी देनेकी दृष्टिसे खाने लायक तेलोंका उत्पादन मुख्यतः गांवोंकी धानियोंके लिये सुरक्षित कर दिया जाना चाहिये। गांवकी धानियोंको धीरे-धीरे खाद्य तेलोंका सारा तिलहन पेरनेकी जिम्मेदारी लेने योग्य बनानेके लिये बोर्डने सुझाया है कि:

(१) मौजूदा तेल-मिलोंके विस्तार पर रोक लगायी जाय;

(२) नयी मिलें खोलने पर रोक लगायी जाय;

(३) मिलोंकी उत्पादन-शक्तिको आजके स्तर पर रोक दिया जाय, उससे आगे न बढ़ने दिया जाय; और

(४) नीचे बताये गये अनुपातमें मिलों और धानियोंके बीच तिलहनका पुनर्विभाजन किया जाय:

बीज	मिलें		धानियां		उत्पादन बढ़नेपर	धानियों द्वारा पेरा धानियोंको जानेवाला तिलहनकी तिलहन अतिरिक्त मात्रा
	आज मिला है	दिया जाय	आज मिला है	दिया जाय		
मूंगफली सरसों और राबी	१२.००	१०.००	५.६८	७.६८	२.००	९.६८
तिल्ली	५.००	४.००	१.६७	२.९७	०.५३	३.५०
निगर, कारडी	०.२२	—	२.४६	२.६८	०.२२	२.९०
अलसी	—	—	१.००	१.००	—	१.००
अरंडी	२.६०	२.६०	०.२५	०.२५	—	०.२५
महुवा	०.९०	०.९०	०.१०	०.१०	—	०.१०
बिनौले	०.९०	०.९०	०.१०	०.१०	—	०.१०
	२२.१२	२३.४०	११.५६	१४.७८	२.७५	१७.५३

११. गांवके तेल-उद्योगके विकासको आसान बनानेके लिये बोर्डने यह सिफारिश की है कि मिलके तेल पर प्रतिमन

२० १-४-० का कर लगाया जाय और उससे होनेवाली आयका अपुपयोग तिलहन जमा करने, घानीके तेलको आर्थिक मदद देने और घानीके तेलकी प्रक्रियाकी कार्यक्षमता बढ़ानेके लिये किये जानेवाले अनुसंधानका खर्च निकालनेमें किया जाय। बोर्डने आगे सुझाया :

(१) प्रतिमन २० २-८-० की आर्थिक मदद केवल सहकारी समितियों तथा मान्य की गयी संस्थाओंको ही दी जाय, अथवा सहकारी समितियों और मान्य की गयी संस्थाओं द्वारा घानियोंके लिये तिलहन जमा करनेमें लगायी गयी पूंजीका ब्याज चुकानेके लिये दी जाय। और

(२) राज्य-सरकारें खाने लायक तेलोंके सारे बीज घानियोंके लिये सुरक्षित करें।

१२. मिलोंकी खाने लायक तेलोंके बीज न मिलनेसे जो नुकसान होगा उसकी पूर्तिके लिये बोर्डने सुझाया है कि मिलें ही क्रमशः अधिकाधिक मात्रामें सारे बिनीलोंका तेल निकालें, बिनीलोंको एक राज्यसे दूसरे राज्यमें लाने ले जानें पर लगे हुअे सारे बंधन हटा दिये जाय, असे आवागमन पर लगे हुअे सारे कर रद्द कर दिये जाय, वनस्पतिके सारे अुत्पादकोंके लिये बिनीलोंके तेलका अमुक प्रतिशत अपुपयोग अनिवार्य कर दिया जाय और साबुन बनानेमें मूंगफलीके तेलके बजाय बिनीलोंके तेलका अपुपयोग किया जाय।

(ग) चावलोंकी हाथ-कुटाभी

१३. आहार-शास्त्रके विशेषज्ञोंमें अिस बात पर अब कोयी विवाद नहीं रहा है कि किसी भी रूपमें मिलोंमें चावलकी कुटाभीसे अैसे अनाजके पोषक तत्वोंका नाश हो जाता है, जिस पर देशकी बहुत बड़ी आबादीकी ८० प्रतिशत खुराक निर्भर है। अिस अुद्योगका विकास करनेके लिये बोर्डने सिफारिश की है कि :

(१) हलर प्रकारकी अतिरिक्त चावल-मिलोंकी स्थापना पर प्रतिबंध लगाया जाय;

(२) मौजूदा चावल-मिलोंकी अुत्पादन शक्तिके विस्तारको रोका जाय; और

(३) मौजूदा हलर मिलोंको बन्द कर दिया जाय।

यह ध्यानमें रखते हुअे कि मशीन-कुटाभीसे चावल कम मात्रामें मिलता है और अैसे चावलके पोषक तत्व कम हो जाते हैं तथा अिस अुद्योगकी लोगोंको रोजी देनेकी शक्तिको देखते हुअे — यह अुद्योग ४३ लाख आदमियोंको काम देता है — यह निहायत जरूरी है कि राष्ट्रीय हितके खातिर चावलकी मशीन-कुटाभी पर पूरी तरह रोक लगा दी जाय।

(घ) गुड़ और खांडसारी

१४. आज गुड़ और खांडसारी अुद्योगका सबसे बड़ा राष्ट्रीय महत्त्व है। यह अुद्योग आज बड़ी तादादमें लोगोंको काम देता है और भविष्यमें और ज्यादा लोगोंको काम दे सकता है; अिसके अलावा शक्कर-अुद्योग देशको आवश्यक मात्रामें शक्कर मुहैया नहीं कर सकता, अिसलिये अिस अुद्योगका राष्ट्रीय महत्त्व और बढ़ गया है। पिछले साल भारतने ५२ करोड़ रुपये खर्च करके ७ लाख टन शक्कर बाहरसे मंगायी थी और अगले साल ८ लाख टन शक्कर मंगानेकी योजना बनायी है, जब कि गुड़ ज्यादा मात्रामें जमा होनेसे अुसकी कीमतें घट रही हैं। सही नीति अपनाकर और राबकी शक्कर बनानेके लिये केन्द्रीय कारखाने खोलकर अिस अुद्योगका विकास करनेसे न केवल बड़ी संख्यामें लोगोंको रोजी मिलेगी और अेक महत्त्वपूर्ण वस्तुका घरेलू अुत्पादन ही बढ़ेगा, बल्कि दूसरे अधिक आवश्यक कार्योंके लिये जरूरी विदेशी मुद्रा भी काफी मात्रामें बचेगी, जिसकी हमारे यहां अितनी तंगी है। सामाजिक दृष्टिसे अितने महत्त्वपूर्ण अुद्योगका विकास करनेके लिये सरकारको :

(१) मौजूदा शक्कर-मिलोंकी अुत्पादन शक्तिके विस्तार पर रोक लगाना चाहिये;

(२) नयी मिलोंकी स्थापना पर रोक लगाना चाहिये;

(३) बाहरसे शक्कर नहीं मंगाना चाहिये; और

(४) सारी अतिरिक्त शक्कर खांडसारीसे प्राप्त करनी चाहिये।

(ङ) अूनी कम्बल

१५. अूनी खादी कम्बलोंके अुद्योगके विकासमें कुछ अंश तक अिस कारणसे रूकावट हुअी है कि अुनको साफ करके मुलायम बनानेकी अपुपयुक्त सुविधायें नहीं हैं, और कुछ अंश तक देशके बड़े पैमानेके कम्बल-अुद्योगकी होड़ और बाहरी मालके आयातके कारण रूकावट हुअी है। देशमें बड़े पैमानेके अुद्योगमें बने हुअे या विदेशी कम्बलोंके बजाय अगर सरकार सेनाके लिये खादीके कम्बल खरीदना तय कर ले, तो अिस अुद्योगके विकासमें बड़ी सुविधा होगी। अिसके लिये निम्नलिखित विशेष सहायताओंकी जरूरत है :

(१) सरकार अूनी खादी कम्बल खरीदनेका वचन दे;

(२) अिस अुद्योगसे संबंधित शोध तथा टेकनिकल और अन्य तालीमकी व्यवस्था करे; और

(३) देशमें बननेवाले कम्बलोंकी जातिके कम्बल बाहरसे मंगाने पर रोक लगा दे।

१६. अिन सब बातों पर दीर्घकालीन दृष्टिसे विचार करके अैसी नीतियां बनायी जा सकती हैं, जो प्रत्यक्ष रूपमें अिन अुद्योगोंकी अुत्पादन शक्तिको बढ़ानेमें, लोगोंको रोजी देनेमें और मालके न्यायपूर्ण वितरणमें सहायक हो सकती हैं। ग्रामोद्योगोंका अुद्योगद्वार या वस्तुवार अध्ययन करनेसे मालूम होता है कि प्रत्येक ग्रामोद्योग लोगोंकी बुनियादी जरूरतें पूरी करता है, अुनके स्वास्थ्यकी रक्षा करता है और खेतीका मौसम न होने पर ग्रामवासियोंको अधिकसे अधिक काम देता है। लोगोंको काम देनेके अवसरोंमें क्रमिक वृद्धि, आवश्यक वस्तुओंके अुत्पादनकी वृद्धि और अुनके न्यायपूर्ण वितरणकी जरूरतके साथ मेल बैठे अिस ढंगसे अिन ग्रामोद्योगोंका विकास करनेके लिये यह जरूरी है कि दीर्घकालीन दृष्टिसे अुनकी आवश्यकताओं पर विचार किया जाय और अुसके अनुसार आर्थिक विकासकी राष्ट्रीय नीति तैयार की जाय।

(अंग्रेजीसे)

(प्राप्त)

ठक्करबापा

[जीवन-चरित्र]

लेखक : फान्तिराल शाह

अनु० रामनारायण चौधरी

अिस पुस्तकमें दीन-दुखियोंके बेली श्री ठक्करबापाका प्रामाणिक जीवन-चरित्र दिया गया है। श्री ठक्करबापाका जीवन हमारे लिये अेक आदर्श अपुस्थित करता है। भारतवर्षमें जहां कहीं अकाल, बाढ़ या भूकम्पके कारण लोग संकटग्रस्त होते, वहां ठक्करबापा अपने अनुयायियोंके साथ अुन्हें सहायता देने पहुंच जाते। सार्व-जनिक सेवाक्षेत्रमें प्रवेश करनेके बाद अंतिम दिन तक अुनके जीवनका अेक-अेक क्षण गरीबों, पीड़ितों और हर तरहसे पिछड़े हुअे लोगोंकी सेवामें ही बीता। अैसे पवित्र और अुदात्त जीवनका आदर्श अुन सबको अपने सामने रखना चाहिये, जो देश अथवा जनताकी सेवाको अपना लक्ष्य बनाना चाहते हैं।

कीमत ५-०-०

डाकखर्च १-२-०

प्राप्तिस्थान : नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद-१४
सस्ता साहित्य भंडल, नयी दिल्ली

हरिजनसेवक

७ मजी

१९५५

अ० भा० नौकरियोंकी परीक्षाओंका माध्यम

श्री राजाजीने अखिल भारतीय नौकरियोंकी परीक्षाओंमें हिन्दी माध्यम दाखिल किया जाय, जिस प्रस्तावका बहुत जोरदार विरोध किया है। उनके विरोधका आधार यह है कि भाषाके मामलेमें जबरदस्ती नहीं होना चाहिये। जैसा वे कहते हैं, "अगर अपने जिस सवालको हल करनेमें हमें अकेला और सफलता प्राप्त करनी हो, तो हमारे हिन्दीके हिमायतियोंको यह बात याद रखना चाहिये।" श्री राजगोपालाचार्यका यह कथन सर्वथा ठीक है। यहां यह समझ लेना चाहिये कि राजाजी जिस बातसे सहमत हैं कि जिन परीक्षाओंके लिये हिन्दीकी परीक्षा भी रखी जाय।

संविधानने अंग्रेजीकी जगह हिन्दी दाखिल करनेके लिये अन्तिम मर्यादा पंद्रह वर्षकी रखी है। श्री राजाजी कहते हैं कि जिस बातका उपयोग लोगोंको डरानेके लिये करना बुद्धिमानि नहीं होगी और वे यह संकेत भी करते हैं कि मुमकिन है हमें जिस मर्यादाको बढ़ाना पड़े।

जिस विरोधके लिये श्री राजाजीके पास अकेले और कारण भी है। वे कहते हैं कि हिन्दीको अभी भी अपना स्तर अठाना है। "वह अंग्रेजीके बराबर नहीं है। वह तामिल, बंगाली और मराठीके भी बराबर नहीं है।" जिसलिये पहले उसका स्तर अठाना जरूरी है। कोबी प्रश्न कर सकता है कि हिन्दी अंग्रेजीके बराबर नहीं है तो क्या तामिल, बंगाली और मराठी ही अंग्रेजीके बराबर हैं? मेरा खयाल है कि चर्चास्पद मुद्देके निर्णयके लिये जिस तरहकी तुलना अप्रस्तुत है।

राजाजीकी अुक्त दलीलका मतलब यह होगा कि जब तक हिन्दी अपयुक्त स्तर प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक अंग्रेजीको चलते रहना चाहिये। क्या जिसका यह अर्थ किया जाय कि तब तक शिक्षा और खासकर अुच्च शिक्षा अंग्रेजीके माध्यम द्वारा दी जायगी? जिस प्रश्न पर श्री राजाजी मौन हैं, यह बात आश्चर्यजनक है।

वे जिस बातकी चर्चा भी नहीं करते कि हिन्दी अपना स्तर कैसे और कब अुंचा अुठायगी। और यह कौन बतायगा कि हां, अब उसने अपयुक्त स्तर प्राप्त कर लिया है? क्या वे यह अपेक्षा करते हैं कि जिस कामको सारे भारतके लिये अुत्तर भारतीय करेंगे? या वे यह सोचते हैं कि अपनी जिस सर्वसामान्य भाषा हिन्दीके विकासमें हम सब, यानी हिन्दी-भाषियोंके साथ-साथ अहिन्दी-भाषी भी अुचित हिस्सा अदा करेंगे, जैसी कि हमारे संविधानमें अपेक्षा रखी गयी है? असा करना ही तो अहिन्दी क्षेत्रोंका कर्तव्य है कि वे जिस काममें अपना योगदान करनेकी तैयारी करें। जाहिर है कि जिस कामको करनेका सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि स्कूलों और कालेजोंमें हिन्दीका शिक्षण तत्काल जारी कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि राजाजी जिस बातसे सहमत हैं।

लेकिन जिस प्रश्नका अकेले और पहलू है और वह पहलू राष्ट्रीय दृष्टिकोणसे बहुत महत्वका है। जिस बातको तो सब लोग मानते हैं कि अंग्रेजी हमारी जनताके अकेले अत्यंत छोटे अंशकी भाषा है। लेकिन उसने हमारी सब भाषाओंको बाहर निकालकर खुद सारे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया है। यह बात

लोकतंत्रकी भावनाके बिलकुल खिलाफ है। ब्रिटिश शासनके जिस अवशेषके कारण सबको समान कष्ट ही रहा है। जिस परिस्थितिको हमें बदलना है, ताकि देशके कारोबारमें सारी जनता जल्दीसे जल्दी अपना अपयुक्त योग दे सके। यह तभी हो सकता है जब कि भावी रचनामें अपना-अपना हिस्सा अदा करनेके लिये न सिर्फ हिन्दीको, बल्कि संविधानमें परिगणित सारी महत्त्वपूर्ण प्रादेशिक भाषाओंको प्रोत्साहित किया जाय।

जैसा कि हमारे प्रधान मंत्रीने बहुत सुन्दर ढंगसे कहा है, हमारी सारी महान् भारतीय भाषायें हमारी राष्ट्रीय भाषायें हैं। उनमें हिन्दी आन्तरप्रान्तीय और अखिल भारतीय कामके लिये चुनी गयी हमारी सामान्य भाषा है। जिसलिये असे सबको सीखना चाहिये। लेकिन अखिल भारतीय बड़ी नौकरियोंकी परीक्षाओंका माध्यम केवल हिन्दी हो, यह अकेले अलग बात है, क्योंकि वसा करनेसे हमारे लोगोंके अकेले हिस्सेको ज्यादा सुविधा होगी। अंग्रेजीकी यह विशेषता थी कि वह सबके लिये विदेशी थी, यानी असे सीखनेमें सबको अकेले-सी मेहनत करनी पड़ती थी। हिन्दीमें यह बात नहीं है। असी हालतमें क्या किया जाय? अंग्रेजीको जारी रखना तो कोबी अुपाय नहीं है। जिसका स्वाभाविक अुपाय यह होगा कि हिन्दीके साथ-साथ प्रादेशिक भाषाओंको भी माध्यमके तौर पर स्वीकार किया जाय। निकट भविष्यमें हमारे स्कूलों और युनिवर्सिटियोंमें माध्यमके रूपमें उनका अुपयोग होनेवाला है। साथ ही अनिवार्य विषयकी तरह वे पहली अुपाधि-परीक्षा तक हिन्दी भी पढ़ानेवाली हैं। जिसलिये अखिल भारतीय नौकरियोंकी परीक्षाओंके परीक्षार्थी अपने प्रादेशिक भाषाओंके माध्यमसे जिन परीक्षाओंमें बैठनेके लिये तैयार रहेंगे। जिन भाषाओंको स्वतंत्र भारतमें वह स्थान मिलना ही चाहिये। हिन्दीको दूसरी प्रान्तीय भाषाओंसे किसी तरह चुपचाप अधिक सुविधा नहीं दी जानी चाहिये। उसका दर्जा आन्तर-भाषाका है। वह असी अकेला राष्ट्रभाषा नहीं है कि संविधानमें मान्य की हुयी दूसरी भारतीय भाषाओंका अुस क्षेत्रसे बहिष्कार कर दिया जाय।

जिस सूचनासे हमारे अकेले-भाषाकी हिमायत करनेवाले हठवादी, जो युनिवर्सिटियों और अखिल भारतीय नौकरियोंकी परीक्षाओंके लिये माध्यमके तौर पर केवल हिन्दी चाहते हैं, डरें नहीं। केवल हिन्दी रखी गयी तो उसका विरोध होगा, जैसा श्री राजाजी कह रहे हैं; और ज्यादा बुरा परिणाम तो यह होगा कि अुससे भारतकी अकेलाको घक्का लगेगा और संविधानका भाषा-सम्बन्धी खण्ड ही बेकार हो जायगा। जाहिर है कि जिस तरहका खतरा अुठाना न तो जरूरी है, न वांछनीय।

जिसलिये हमारी परिस्थितियोंमें सबसे ज्यादा स्वाभाविक चीज यह होगी कि युनिवर्सिटीमें और बादमें अखिल भारतीय नौकरियोंकी परीक्षाओंमें दो भाषायें स्वीकार की जायं। जिससे हिन्दी-भाषी और अहिन्दी-भाषी अुम्मीदवार सरकारी नौकरियोंकी परीक्षाओंमें समानताके आधार पर बैठेंगे। संक्रान्तिकालमें परीक्षाओंके माध्यमके रूपमें अंग्रेजीको तीसरा विकल्प माना जा सकता है। केवल अिसी तरह हम अपनी भारतीय भाषाओं—अखिल भारतीय सर्वसामान्य माध्यम जिनका पूरक होगा—के विवेकपूर्ण अुपयोग द्वारा अंग्रेजीको हटानेके सम्बन्धमें संविधानके आदेशों पर अमल करनेकी दिशामें आग बढ़ सकते हैं।

जिस महत्त्वपूर्ण सुधारको मुलतवी रखने या संविधान द्वारा निर्धारित अवधिको बदलनेका विचार किसीके लिये लाभदायी नहीं होगा। असा करनेका अर्थ होगा हमारे देशके शासन और सच्चे अर्थमें लोकतंत्रिक सरकारके लिये स्वाभाविक माध्यम अपना देनेके प्रयत्नोंको शिथिल करना।

यह कहनेसे भी किसीको कोअी लाभ नहीं होगा कि हमारी भारतीय भाषायें अंग्रेजीके या दूसरी भाषाओंके अूँचे स्तरको नहीं पहुँच सकतीं। भाषा किसी प्रजाके मस्तिष्क और हृदयकी अभिव्यक्ति है। अगर हमने सचमुच अेक स्वतंत्र राष्ट्रकी तरह जीना पसन्द किया है, तो हमारी अपनी भाषाओंे अिस भावनाको व्यक्त करने और अुसके साथ बढ़नेके लिये सर्वथा योग्य हैं। प्रत्येक भाषा जैसे-जैसे अुसके बोलनेवाले अुसका अुपयोग करते हैं, वैसे-वैसे शक्तिशाली बनती है और अपना विकास करती है। और हमारी भारतीय भाषाओंे विदेशी शासनमें भी, जब अुनकी अुन्नति और विकासके लिये कोअी सरकारी प्रोत्साहन नहीं मिलता था, यह क्षमता काफ़ी दिखायी है।

अिसलिये यह कहना अच्छी बात नहीं है कि हिन्दी अिस या अुस भाषासे घटिया है। हमारे करोड़ों देशवासी अुसे बोलते हैं, यही अुसकी हमारी आन्तर-भाषा बननेकी अनोखी योग्यता है। अंग्रेजी शासनके पहले अुसने अिस रूपमें काम किया है; वह अुस जमानेमें मानव मस्तिष्कके अुदात्तसे अुदात्त विचारोंका वाहन रही है।

अिसलिये राजाजीकी अिस बातसे सहमत होते हुये भी कि अकेली हिन्दी ही अखिल भारतीय नौकरियोंकी परीक्षाओंका माध्यम नहीं हो सकती, अुनकी अिस सूचनाको स्वीकार करना कठिन है कि अंग्रेजीको जारी रहने दिया जाय और संविधानकी १५ वर्षकी अवधिको बदल दिया जाय। हमारे लिये यही अुचित होगा कि हम तुरन्त अपनी भाषाओंके माध्यमका अुपयोग करने लगे और जल्दीसे जल्दी अखिल भारतीय माध्यम हिन्दीको भी सीख लें।

अिस तरह काम करते हुये हम अैसे दर्जे और स्तर पर पहुँच जायेंगे, जब हिन्दी अखिल भारतीय कामकाज और व्यवहारके लिये अगर ज्यादा नहीं तो विदेशी माध्यम अंग्रेजीके समान ही शक्तिशाली बन जायगी। सारा मुद्दा यह है कि संविधानमें बताये गये ढंगसे (धारा ३५१) देशकी सर्वसामान्य भाषा हिन्दीका निर्माण और विकास किया जाय, जो अंग्रेजीका स्थान ले सके। अेक राष्ट्रके नाते हमारा और जनताके अेक साधनके नाते सरकारका यह फर्ज है कि अिस लक्ष्यको जल्दीसे जल्दी प्राप्त करें। लेकिन केवल हिन्दीको माध्यम बनानेका विचार, भले वह अंग्रेजीके आजके कामकी तुलनाके आधार पर कितना ही सुविधाजनक क्यों न मालूम हो, अिस अुद्देश्यको खतम कर देगा। अखिल भारतीय माध्यम हिन्दी दूसरी भारतीय भाषाओंके साथ ही, जिन्हें अखिल भारतीय नौकरियोंके माध्यमके रूपमें हिन्दीके जितना ही आदर मिलना चाहिये, जिन्दा रह सकती है और आगे बढ़ सकती है। कांग्रेसकी कार्यसमितिये अिस विषयमें अपने अप्रैल १९५४ के प्रस्तावमें जो बुद्धिमत्ता और चतुराजीपूर्ण मार्गदर्शन किया है, अुसे हम याद करें। वह प्रस्ताव अिसी अंकमें अन्यत्र अुद्धृत किया गया है।

१-५-५५

मगनभाई देसाई

(अंग्रेजीसे)

रचनात्मक कार्यक्रम

[चौथी बार]

लेखक : गांधीजी; अनु० काशिनाथ त्रिवेदी

कीमत ०-६-०

डाकखर्च ०-३-०

भूवान-यज्ञ

विनोबा भावे

कीमत १-४-०

डाकखर्च ०-५-०

नवजीवन प्रकाशन मन्डिर, अहमदाबाद-१४

सेवाकार्य, व्यक्ति और संस्था

१

बम्बयी सरकारने पांचेक वरस पहले सर्वोदय-योजना शुरू की, तब कर्नाटकके अेक रचनात्मक कार्यकर्ताने कहा था, यह तो सरकारी सर्वोदयकी योजना है। अिससे वे यह कहना चाहते थे कि गांधीजीकी कल्पनाके सर्वोदयसे सरकार द्वारा सोची हुयी नीति बिलकुल भिन्न होती है और अलग ही छाप डालती है।

गांधीजीने भावना और निष्ठापूर्वक काम करनेवाले सेवकोंसे काम लिया। अिसलिये अुसमें अन्तरके कुछ विशेष भावोंकी सजीवता दिखायी देती थी। सरकारी योजना महकमाशाहीकी प्रणाली पर चलती है। सरकारी कर्मचारी नौकरी करनेके ढंग पर काम करते हैं। यह स्पष्ट है कि अुस काममें नैष्ठिक ग्रामसेवकके सजीव भावोंका दर्शन नहीं होता। अिसलिये कामकी पूरी मात्रामें फर्क पड़ता ही है।

दूसरा अेक फर्क भी अिसमें देखनेको मिलता है। ग्रामसेवक सीधा लोगोंमें काम करता है। सरकारी कर्मचारी अपने तंत्र या अधिकारियोंकी आज्ञामें रहकर काम करता है। यानी अुसे अूपरसे आज्ञा मिलती है। अूपर बैठे हुये अधिकारी या दूसरे लोग जैसे सोचते हैं, वैसी आज्ञा नीचेवालोंको दी जाती है, और अुसके अनुसार काम चलता है। अिसके कारण स्थानीय विशेषताओंको देखकर चलनेका ध्यान नहीं रह सकता। मिली हुयी आज्ञामें सरकारी कर्मचारी कोअी फेरबदल नहीं कर सकता। लेकिन लोकसेवकको यह बात लागू नहीं होती। अुसे स्थानीय स्थिति देखकर काम करनेकी आजादी रहती है। अुसके अनुसार वह अपने कार्यक्रमोंमें फर्क भी कर सकता है। अैसी आजादी सरकारी तंत्र अपने सेवकोंको नहीं दे सकता। वह तो स्थूल कार्यका हिसाब लगाता है और काम करता है। अिसकी वजहसे भी काममें बहुत फर्क पड़ जाता है।

अिस प्रकार दूसरे भी फर्क बताये जा सकते हैं। मुझे लगता है कि कर्नाटकी मित्रकी अूपरकी राय अिसी विचारमें से पैदा होती है। अुससे अैसा लगता है, मानो सर्वोदय कार्यके रूपमें ही फर्क पड़ जाता है।

यह चीज बड़ी बुनियादी है, जो आज दूसरे कअी रूपोंमें देखनेमें आती है। गहरा विचार करनेसे मालूम होता है कि लोकसेवककी कार्यपद्धति और सरकारी नौकरकी कार्यपद्धतिमें मूल भाव और प्रेरणाका जो फर्क रहता है, अुसीमें शायद यह चीज है।

सरकारी नौकरको हम 'नागरिक सेवक' तो कहते हैं, परंतु अुसके कार्यमें सेवाभावकी मूल प्रेरणा नहीं होती। वह नौकरी करनेके लिये आता है और सौंपा हुआ काम 'तटस्थ' भावसे करे तो अच्छा माना जाता है। कितनी ही बार भीतरकी नाराजी या विरोधभाव हो, तो भी वह काम करता दिखायी देता है। अैसी हालतमें वह कैसा काम करता है, यह चिन्ताका विषय हो जाता है। लेकिन सरकारी विभागमें तो यह होता ही है। अैसी बात नहीं कि सरकारी नौकरोंको कोअी काम पसन्द आता है, अिसलिये वे अुसमें लगते हैं। अुन्हें जहां रखा जाय वहां जाना पड़ता है और अपना काम करना पड़ता है। लोकसेवककी स्थिति अिससे बिलकुल अुलटी है। अुससे यह आशा रखी जाती है कि वह खुशी और निष्ठासे काम करेगा।

अिसलिये सेवकका संपर्क जनता पर अेक तरहका असर डालता है और सरकारी नौकरका संपर्क दूसरी तरहका। लोकसेवक जनताका काम करके अुसका गढ़नेवाला बन सकता है। सरकारी नौकर अधिकसे अधिक जनताका काम कर देता है। अलबत्ता, सरकारी नौकर भला आदमी हो तो अिसमें फर्क पड़ता है।

दूसरी ओर अगर लोकसेवकमें चरित्रकी कमी हो तो उसके काममें भी फर्क पड़ता है। अपूर मने यह बताया है कि अिन व्यक्तितगत कारणोंको अलग रख दें तो साधारणतया क्या होता है।

२

अगर ध्यानसे देखें तो अिस फर्कका असर आज जहां-तहां दिखायी देता है। 'कम्युनिटी प्रोजेक्ट' वगैराकी ग्रामविकास योजनायें केन्द्रीय सरकारकी ओरसे देशके विभिन्न भागोंमें चल रही हैं। अिनके लिये पंचवर्षीय योजनामें पैसेकी व्यवस्था की जाती है। कुछ समयमें देशके सारे गांवोंमें अिन्हें फैला देनेका विचार है।

बम्बयी सरकारने अपनी सर्वोदय-योजना यह केन्द्रीय कार्यक्रम शुरू होनेसे पहले आरंभ की थी। अुसे यथासंभव गांधीवादी बनानेका प्रयत्न किया गया है, यह अुसके नामसे भी मालूम होता है। 'कम्युनिटी प्रोजेक्ट' और 'नेशनल अेक्सटेन्शन स्कीम' भी सरकारी हैं। परंतु अुन्हें गांधीवादी रूप देनेका प्रयत्न शायद ही किया जाता है। यह अुनके नामसे ही मालूम हो जायगा।

अिससे कुछ लोग यह भी कहने लगे हैं कि देशमें अिस समय दो रचनात्मक कार्यक्रम चलते हैं: अेक पुराना गांधीजीका, और दूसरा 'प्रोजेक्ट' वगैराका नया जवाहरलालजीका। अितना ही नहीं, अुन कर्नाटकी मित्रका बताया हुआ भेद और आगे बढ़ता है। केन्द्रीय सरकारका कम्युनिटी प्रोजेक्ट वगैरा प्रयोग बम्बयी सरकारकी सर्वोदय-योजनासे भी अलग पड़नेवाला अेक नया भेद है! और अुसकी कल्पना, विचार और संचालन वगैरा अखिल भारतीय केन्द्र द्वारा अपूरसे चलता है। अिससे अेक नया ही असर पैदा होता है। अिस सम्बन्धमें दक्षिण भारतसे अेक मित्रने जो बात मुझे लिख भेजी है, वह ध्यान देने जैसी है।

दक्षिण मदुराके पास गांधीग्राम अपुरोक्त दोनों रचनात्मक कार्योका केन्द्र माना जाता है। श्री डगलस अेम्सिगर नामक 'फोर्ड फाउन्डेशन' के अेक भागी वहां गये थे। अुनकी कही हुआ बात वहांके कार्यकर्ता श्री कैथानने मुझे लिख भेजी है। वह अिस प्रकार है:

"यहां गांधीग्राममें दो बरस पहले मैंने अपने-आपको पहचाना। यहां मुझे स्पष्ट रूपसे मालूम होने लगा कि गांधीजीके रचनात्मक कार्यक्रमको सामूहिक कार्यक्रम — 'कम्युनिटी प्रोजेक्ट' योजनाकी जरूरत है और अिस योजनाको गांधीजीके रचनात्मक कार्यक्रमकी जरूरत है। यहीं मुझे सर्वप्रथम स्पष्ट रूपसे समझमें आया कि सामूहिक कार्यक्रमको आध्यात्मिक आधारकी जरूरत है, जो गांधीजीके रचनात्मक कार्यकर्ता अिसे दे सकते हैं। यहीं मुझे पहलेसे अधिक स्पष्ट मालूम हुआ कि जनताके सामने जीवनका ध्येय पेश करनेकी आवश्यकता है।

"यह सच है कि भारतमें आनेसे पहले मैं गांधीजी और अुनके तत्त्वज्ञानके बारेमें थोड़ा जानता था। यह चीज मैं मुख्यतः अुन धर्मोपदेशकसे सीखा था, जिन्हें गांधीजीसे मिलकर जीवनका आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करनेके लिये भारत भेजा गया था।

"अब मैं अेक प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ: सामूहिक कार्यक्रमके साथ समाज-शिक्षणका मेल कैसे बैठ सकता है? सामूहिक कार्यक्रमको सजीव और प्राणवान बनाना समाज-शिक्षणकी जिम्मेदारी है। हमारा फर्ज है कि हम लोगोंको स्वाश्रयी बननेमें मदद करें, स्वतंत्रताके लाभ पूरी तरह समझनेमें मदद करें और अैसा हेतु अुनके समक्ष रखें जिससे वे अधिक अच्छे रूपमें जीवन जी सकें। सामूहिक विकास योजनाके लिये जरूरी आध्यात्मिक आधार क्या है, यह आपको जान लेना चाहिये। आपको यह भी समझ

लेना चाहिये कि मनुष्य केवल रोटीके बल पर ही नहीं जी सकता। मैं जब आध्यात्मिक आधारकी बात करता हूँ, तब अिसी वस्तुका अुल्लेख करता हूँ। शुरूमें भौतिक लक्ष्यों पर अधिक भार दिया जाता देखकर मैं अस्वस्थ बन गया था। लेकिन अुसमें फेरबदल होता जाता है, यह जानकर मुझे खुशी होती है।

"गांधीजी मुख्यतः अहिंसा द्वारा भारतको स्वतंत्रता दिलानेवालेके रूपमें अितिहासमें पहचाने जायंगे। नेहरू भारतमें राजनीतिक अेकता स्थापित करनेवाले और अहिंसा द्वारा दुनियाके राष्ट्रोंके लिये विश्वव्यापी शांतिका सन्देश लानेवालेके नाते पहचाने जायंगे। मेरी अभिलाषा है कि आप लोग भारतके ५,५८,००० ग्रामोंके लोगोंके साथ मिलकर किये जानेवाले प्रयत्न द्वारा भारतके निर्माणके लिये नेतृत्व प्रदान करनेवाले व्यक्तियोंके रूपमें पहचाने जायें। आपका कार्यक्रम तत्त्वतः सामाजिक परिवर्तनकी प्रक्रियाको, नये सिरेसे महत्त्वपूर्ण ग्राम-संस्कृतिका निर्माण करनेकी प्रक्रियाको, नेतृत्व और मार्गदर्शन देनेका है। यह प्रत्येक अिकाजीकी नवरचना ही नये भारतके निर्माणका रूप लेगी। भारतके लिये यह अपूर्व काम करनेकी चुनौती और मौका आपको मिला है। मैं चाहता हूँ कि आप अुसे भाड़ेके टट्टुओंके कामके नाते नहीं, बल्कि 'जीवनके मिशन' के नाते स्वीकार करें।"

अैसा लगता है कि श्री डगलस अेम्सिगर गांधीग्राममें तालीम ले रहे 'कम्युनिटी प्रोजेक्ट' योजनासे सम्बन्ध रखनेवाले सरकारी नौकरोंके सामने अैसा बोले होंगे। अिसमें अुन्होंने हम जिस फर्ककी चर्चा कर रहे हैं, अुसे अेक नयी ही दृष्टिसे देखा और अुसका वर्णन किया है। लेकिन अुसके मूलमें भी तत्त्व तो वही है।

३

अिस फर्कको समझनेके लिये अेक दूसरा अुदाहरण लें। जनसेवाके काम करनेके लिये सरकारी नौकर होते जरूर हैं, परन्तु अुनके लिये भी अुन कामोंके लायक विशेष तालीमका विचार किया जाता है। और विभिन्न प्रकारके सेवाकार्योंके लिये तालीम देकर सेवक तैयार किये जाते हैं। जैसे, मजदूरोंकी सेवाके लिये, कम्युनिटी प्रोजेक्टके लिये। सेवाभाव और निष्ठासे प्रेरित होकर अुमंग और अुत्साहसे काम करनेवाले सेवकोंसे तालीम पाये हुअे सरकारी सेवक बिल्कुल अलग पड़ जाते हैं। यह फर्क कैसा होता है, यह अेक अुदाहरणसे मालूम हो जायगा।

कुछ समय पहले बड़ोदा युनिवर्सिटीके समाज-विद्या कालेजके अेक प्रोफेसरने कहा था कि गांधीजी, रविशंकर महाराज वगैरा समाज-सेवक — सोशियल वर्कर — नहीं कहे जा सकते! अिससे वहां बड़ी खलबली मच गयी थी। अपूरके फर्कको ध्यानमें लें तो गांधीजी वगैरा प्रसिद्ध जनसेवक (युनिवर्सिटीकी समाज-विद्या शाखामें) नौकरी करनेकी दृष्टिसे तैयार किये जानेवाले 'समाज-सेवक' नहीं कहे जायंगे। अुन्होंने विदेशी भाषामें अिस विद्यासे सम्बन्ध रखनेवाली पुस्तकोंका अध्ययन भी नहीं किया होगा, वे सरकारी या नौकरी करनेवाले समाज-सेवक तो हैं ही नहीं। अिस फर्कका रहस्य यह है कि सरकारी तंत्रकी कार्यपद्धति अैसी अलग पड़ जाती है कि अुसका रंग मूल वस्तु और अुसके विचार पर ही चढ़ जाता है। अिस कारणसे 'सरकारी' सर्वोदयकी तरह समाज-सेवा भी 'सरकारी' बनने लगी है।

४

अिस सम्बन्धमें अेक दूसरा अुदाहरण देता हूँ। अुसमें हमारे देशकी सारी परिस्थिति और पद्धतिके विषयमें बात कही गयी

है। वह श्री विनोबा द्वारा पुरी सर्वोदय सम्मेलनमें पेश की गयी थी। अन्होंने 'सरकारी' अहिंसाका अक प्रकार बताया!*

अिस सारी चीज पर गहरा विचार किया जाय तो अैसा लगता है कि कोअी काम करनेके लिये तंत्र या संस्थाकी आवश्यकता तो पड़ती ही है। यह ठीक है कि वह तंत्र या संस्था कामके अनुरूप होगी। परन्तु काम अगर सामुदायिक हो तो अुसके अनुरूप ही अुसका तंत्र या संस्था होना जरूरी है। वर्ना काममें तेजी नहीं आती, व्यवस्था भी नहीं रहती। परन्तु कठिनाअी यहीं पैदा होती है। जिस प्रकार आत्माके देहधारी बनने पर अुसके साथ अविद्याकी माया अनिवार्य रूपसे लग जाती है, अुसी प्रकार कोअी कार्य या सिद्धान्त तंत्रबद्ध संस्थाधारी बनता है तो ही असरकारी होता है, परन्तु अुसके साथ अुसकी माया भी पैदा होती है। सरकारी तंत्रकी माया अेक ढंगसे काम करती है; सार्वजनिक तंत्रकी माया (अथवा काम करनेवाला कोअी व्यक्ति हो तो अुसकी माया) दूसरे ढंगसे काम करती है। कोअी यह कहे कि मैं संस्थाधारी नहीं बनूंगा, तो अुसका अितना ही अर्थ है कि वह व्यक्ति-संस्थाधारी है, अुसके आगे वह नहीं बढ़ता—असा संयम या संन्यास धर्म वह स्वीकार करता है। अिसके मुताबिक अुसके कामके आकारमें भी जरूर फर्क पड़ेगा। आज हम जनशक्तिसे काम करनेकी बातें करते हैं, तब अूरका विचार ध्यानमें रखने जैसा है। अिस बातकी भी अपेक्षा नहीं की जा सकती कि राज्यसंस्था भी जनशक्तिका अेक आविष्कार है। और यह संस्था समाजके नियमनके लिये अनिवार्य है; अुसे 'अनिष्ट' मानें तो भी वह 'अनिवार्य अनिष्ट' है, जिसे समाजके सारे व्यक्ति अपना नियमन स्वयं धर्मपूर्वक कर लें तो ही दूर किया जा सकता है।

२२-४-५५
(गुजरातीसे)

मगनभाई देसाई

अुड़ीसामें विनोबा -- ३

अुत्कलमें प्रवेश करते ही विनोबाजीने दो अैसे कार्यक्रम अुठाये, जिनसे अुन्होंने यहांकी जनताकी नब्ज परख ली। अुड़िया भागवतके अध्ययनसे अुन्होंने सामान्य जनोके हृदयमें प्रवेश किया और लिपि-सुधार-आन्दोलनसे विद्वत् जनोमें प्रवेश किया है। अुत्कलके देहातोमें आज घर घर चर्चा चल रही है कि विनोबाजीने अुनके प्रिय ग्रन्थ भागवतका अध्ययन अुड़िया भाषामें शुरू कर दिया है, और जो भी विद्वान अुनसे मिलता है, वह अवश्य अुनसे लिपि-सुधारकी चर्चा करता है। अुत्कलके शिक्षा-मंत्री, अुत्कल विद्यापीठके अुप-कुलपति तथा अन्य कअी विद्वान लिपि-सुधारके विषयमें चर्चा कर गये। सभीने लोकनागरी लिपिकी वैज्ञानिकताको स्वीकार किया और अुड़िया टाइपराअिटरमें विनोबाजीके सुझावों पर विशेष ध्यान रखनेका निश्चय किया।

अुत्कल विधान-सभाके भूतपूर्व अध्यक्ष श्री लालमोहन पटनायक कटकके अीसाअियोंका अेक प्रतिनिधि-मंडल लेकर आये थे। 'न्यू टेस्टामेंट' का अुड़िया अनुवाद अुन्होंने विनोबाजीको भेंट किया और कहा कि हम सब मानते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं, वह अीसा मसीहके आदेशोके अनुसार है।

* अुन्होंने कहा था:

"दूसरी बात गांधीजीकी अहिंसाकी है। हममें से कुछ लोग सरकारमें गये हैं, कुछ बाहर हैं। अिन दिनों अहिंसाका सरकारी अर्थ यह हुआ है कि समाजको कमसे कम तकलीफ देना। हमें लगता है कि अहिंसाकी यह व्याख्या अहिंसाके लिये बड़ी खतरनाक है।..." (देखिये, 'हरिजनसेवक', १६-४-५५; पृ० ५०)

मुसलमान भाअियोंके साथ कुछ दिलचस्प चर्चायें हुआं। अेक भाअीने पूछा, सर्वोदय समाजमें क्या मजहब रहेंगे?

विनोबाजीने कहा, आज तो वे खतम हो रहे हैं। सर्वोदयमें मजहब टिक सकते हैं। मजहब तो अुपासनाके भिन्न भिन्न प्रकार हैं।

अुस भाअीका दूसरा प्रश्न था, लेकिन जहां सर्वस्व ग्राम-दान मिलेगा, वहां क्या अैसा नहीं होगा कि हिन्दुओंका बहुमत होगा तो मंदिर बनेंगे, मुसलमानोंका बहुमत होगा तो मसजिदें बनेंगी?

विनोबाजीने कहा, जनतंत्रमें वह भय हो सकता है* सर्वोदयमें नहीं, क्योंकि सर्वोदय-समाजमें सारे निर्णय अेकमतसे होंगे, बहुमतसे नहीं।

दूसरे भाअी पूछने लगे, सर्वोदय-समाजमें शहरोंका क्या स्थान होगा?

सर्वोदय-समाजमें शहर और गांव अेक-दूसरेके पूरक बनेंगे। गांवमें जो कच्चा माल बनता होगा, अुसका पक्का माल गांवमें ही बनेगा; लेकिन घड़ी, फाअुन्टेनपेन, थर्मामीटर, अिस तरहकी चीजें शहरोंमें बनेंगी। विदेशोसे आनेवाले मालको रोकनेका काम शहरोंके अुद्योग करेंगे।

तीसरे भाअीका सवाल था, हमारे मजहबमें चालीसवां हिस्सा धर्मके लिये अलग रखनेकी हिदायत है। सम्पत्ति-दानमें यदि हम छठा हिस्सा दें, तो क्या जकातकी रकम संपत्ति-दानमें गिननेकी अिजाजत आप देंगे? विनोबाजीने कहा, जी हां।

दोपहरमें स्त्रियोंकी सभा हुआ। अुनकी ओर देखते हुआ विनोबाजीने विनोदमें कहा, ये बहनें गहनेवाली नहीं दीखतीं। जो बहनें गहनें पहनती हैं वे भीर होती हैं। अिसलिये हम जब स्त्रियोंसे मिलते हैं तो कहते हैं कि गहनें छोड़ दो तो गरीबोंको मदद भी मिलेगी और आपका डर भी छुटेगा। अुससे अेक अैसी ताकत बनेगी कि आप समाजको आगे बढ़ायेंगी। अिस तरह अपने छोटेसे भाषणमें अुन्होंने बहनोंसे सामाजिक सेवामें पुरुषोंका नेतृत्व करनेको कहा और कटक शहरके घर घरमें चरखा पहंचानेका कार्यक्रम दिया।

विश्व-शांति परिषद् (वर्ल्ड पीस कांसिल) के सदस्य और अध्यक्ष विनोबाजीसे मिले। अुन्होंने बताया कि अुनका मुख्य कार्यक्रम यह है कि विश्वमें शांति हो, अेटम और हाअिअ्रोजन बमका अुपयोग न हो। अिसके लिये वे लोगोके हस्ताक्षर ले रहे हैं। अुनकी अिच्छा थी कि विनोबाजी भी अपना कुछ अभिप्राय अिसमें दें। लेकिन विनोबाजीने कहा, यद्यपि मैं आपके कार्यक्रमके विरुद्ध नहीं हूं, परन्तु मैं समझता हूं कि अिससे कुछ होने जानेवाला नहीं है। आपको प्रत्यक्ष रूपसे सेवा-कार्य करना चाहिये।

अुनमें से अेक भाअीने पूछा, आप दान-पत्रों पर हस्ताक्षर लेते हैं, अुससे क्या लाभ होता है? विनोबाजीने कहा, मैं तो अुसके साथ जमीन भी लेता हूं, संपत्ति भी लेता हूं। आप भी हस्ताक्षरके साथ जमीन या संपत्तिका छठा हिस्सा लेंगे तब तो कुछ काम बनेगा। वैसे तो सब लोग चाहते हैं कि विश्वमें शांति हो, लेकिन यह नहीं चाहते कि हमारे पाससे हम कुछ समाजको दें—चाहते हैं विश्व-शांति हो, लेकिन अुसके साथ यह भी चाहते हैं कि हमारे पाससे 'कोड़ी न गच्छतु'।

पंडित नेहरू और चीनके प्रधानमंत्री श्री चाअू-अेन-लाअीके बीच पंचशीलके सिद्धान्त पर जो बात हुआ, अुसके बारेमें विनोबाजीकी राय वे भाअी पूछने लगे। विनोबाजीने कहा, 'हम सिर्फ रामजीका नाम लेते हैं और किसीका नहीं, अिसलिये हम पर अपनी राय देनेकी जिम्मेवारी नहीं आती। लेकिन आजकल लोग बहुत व्यक्ति-

* मैं नहीं मानता कि जनतंत्रमें अैसा होगा। सच्ची जन-तांत्रिक व्यवस्था सब नागरिकोंको पूजा-अुपासनाकी स्वतंत्रता देगी। अिसलिये अगर हिन्दू और मुसलमान चाहेंगे तो अुसमें मंदिर और मस्जिद दोनों होंगे। -- संपा०

परायण हो गये हैं। और चाबू-अन-लाजी खुद अपने देशकी स्थिति नहीं संभाल सकते, तो वह दुनियामें शान्ति क्या करेंगे? जिसके खुदके पेटमें दुःख रहा है वह दुनियाको क्या बचायेगा?' और भी बहुत चर्चा हुआ जिसमें विनोबाजीने कहा, हम तो अपने देशसे जो कहना चाहते हैं वह कहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देशमें अहिंसक शक्ति निर्माण हो और देशके मसले अहिंसा और प्रेमसे हल हों।

शामकी विशाल सभामें विनोबाजीने जो प्रवचन दिया, वह अत्कलकी भूमि-क्रान्तिके अतिहासमें एक महत्वपूर्ण घटना बना रहेगा। वे बार बार अत्कलवासियोंको याद दिलाते हैं कि यही वह वीर भूमि है, जिसने सम्राट् अशोकको अहिंसाकी दीक्षा दी।

अपने भाषणके अन्तमें अन्होंने कहा कि बुद्ध भगवान् जैसे महान पुरुष दुनियामें नहीं हुए, सम्राट् अशोक जैसा महान राजा नहीं हुआ और आप साबित कर सकते हैं कि अत्कलके जैसा दुनियामें महान प्रदेश नहीं हो सकता।

१४-३-५५

फुलनखरा (अत्कल)

कु० दे०

कांग्रेसका प्रस्ताव

[कांग्रेसकी कार्यसमितिके दिल्लीमें हुआ अपनी ४ और ५ अप्रैल, १९५४ की बैठकमें अखिल भारतीय नौकरियोंकी परीक्षाओंके माध्यमके बारेमें निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया था।]

“अस बातको खयालमें रखते हुअे कि भारतके संविधानने हिन्दीको अखिल भारतीय राष्ट्रभाषाके तौर पर मान्य किया है और सारे देशसे सम्बन्ध रखनेवाले सरकारी कामकाजके लिये अंग्रेजीका स्थान हिन्दीको देनेके लिये पन्द्रह वर्षका समय तय किया है, यह वांछनीय है कि अखिल भारतीय नौकरियोंकी परीक्षाओंकी भाषा हिन्दी बनानेके लिये अधिकाधिक कदम उठाये जायं।

“ये कदम अस तरह उठाये जायं कि अहिन्दी प्रान्तोंके परीक्षार्थियोंको कोअी अनुचित बोझ महसूस न हो। हिन्दी और प्रदेश-भाषाओंके विकासके लिये तो हर तरहका प्रोत्साहन दिया ही जाना चाहिये, साथ ही यह याद रखना चाहिये कि अपूरकी नौकरियोंमें विदेशी भाषाओंकी और खासकर अंग्रेजीकी जानकारी आवश्यक बनी रहेगी।

“कार्यसमिति सिफारिश करती है कि धीरे-धीरे बढ़ते हुअे अखिल भारतीय नौकरियोंकी परीक्षायें हिन्दी, अंग्रेजी और प्रमुख प्रदेश-भाषाओंमें ली जायं और परीक्षार्थियोंकी परीक्षामें अिनमें से किसी भी भाषाका अुपयोग करनेकी छूट रहे। अगर परीक्षार्थी परीक्षाके लिये हिन्दी या कोअी प्रदेश-भाषा चुने, तो अुसे अंग्रेजीमें अलग पास होना चाहिये।

“सफल परीक्षार्थियोंको, अगर अन्होंने अपनी परीक्षाओंमें पहले हिन्दी न ली हो तो, शीघ्र ही हिन्दीकी परीक्षा पास करनी पड़ेगी।

“अस दिशामें दूसरी मंजिल यह होगी कि जैसा अपूर बताया गया है, अिन परीक्षाओंमें हिन्दी, अंग्रेजी या प्रदेश-भाषा, अिनमें से किसीका भी अुपयोग करनेकी छूट रहे, लेकिन साथ ही अहिन्दी-भाषी परीक्षार्थियोंके लिये हिन्दीका एक अनिवार्य प्रश्नपत्र रहे और हिन्दी-भाषी परीक्षार्थियोंके लिये किसी दूसरी भारतीय भाषाका एक अनिवार्य प्रश्नपत्र रहे। परीक्षाओंमें हिन्दी या प्रदेश-भाषाका अुपयोग करनेवाले परीक्षार्थियोंके लिये अंग्रेजी अनिवार्य विषयकी तरह रहेगी।

“अस तरह अखिल भारतीय नौकरियोंकी परीक्षाओंकी भाषाके तौर पर क्रमशः अंग्रेजीकी जगह हिन्दीका व्यवहार होने लगेगा।”

हरिजनसेवक, १७-४-५४

मनुष्य और अणु-बम*

नजी दिल्लीमें ५ अप्रैलको भगवान् महावीरकी जयन्तीके अुपलक्ष्यमें आयोजित एक सभामें बोलते हुअे प्रधान मंत्रीने कहा कि अेटम और हाअिड्रोजन बमसे मानव-समाजको जो खतरा अुपस्थित हुआ है, अुसका सामना केवल नैतिक और आध्यात्मिक शक्तिके द्वारा ही किया जा सकता है। श्री नेहरूने स्वीकार किया कि अिन अस्त्रोंका प्रयोग और अुपयोग बन्द करवानेके लिये हल-चल और आन्दोलन करनेमें अब अुनका विश्वास नहीं रह गया है। प्रधान मंत्रीने कहा कि पहले अन्होंने अैसे प्रतिबंधके लिये प्रयत्न किया था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ।

मगर जब हम दुनियाको यह संकट टालनेके लिये गांधीजीका बताया हुआ अुपाय अपनातेके कहते हैं, तो हमें दो बातोंकी या एक ही बातके दो पहलुओंकी स्पष्टता कर लेनी चाहिये। हाअिड्रोजन बमके खिलाफ अैसा कोअी अुपाय नहीं है जो साथ ही हिंसाकी बुराअीके दूसरे छोटे दिखनेवाले रूपोंके खिलाफ भी अुपायके तौर पर न माना जाता हो। मतलब यह कि हिंसा छोटी हो या बड़ी अुपाय वही है। हाअिड्रोजन बम आखिर एक प्रक्रिया या यों कहिये कि अनेक प्रक्रियाओंके एक प्रवाहका अन्तिम परिणाम है। और जब तक समाज-रचनाको जगह-जगह छूने और प्रभावित करनेवाले अस प्रक्रिया-चक्रको जैसा चाहिये बसा बदला नहीं जाता, तब तक समस्या सुलझायी नहीं जा सकती। एक तरहसे देखें तो लोगोंका सारा ध्यान हाअिड्रोजन बमके सवाल पर लगा हुआ है, मानो दूसरे क्षेत्रोंमें बुनियादी सुधार किये बिना ही अुसे स्वतंत्र रूपसे सुलझाया जा सकता है। अैसा मालूम होता है कि ज्यादा लोग पौंडकी बात पेनियोंके संबंधमें किसी तरहकी सावधानी रखे बिना ही सोच रहे हैं। वे यह भूल जाते हैं कि पौंड पेनियोंसे ही बनता है। यह याद रखना चाहिये कि जब गांधीजीने अहिंसाका सिद्धान्त हमारे सामन रखा, तब अेटम और हाअिड्रोजन बम नहीं थे। अुनके सामने सवाल मानव-जातिके अस्तित्वको बनाये रखनेका नहीं था। मानव-जाति हमेशा बनी रहे यह अुनके चिन्तनका विषय नहीं था। अुनका ध्यान अस बात पर था कि मनुष्य, जब तक वह रहे तब तक, सच्चा मानवीय जीवन जीये। अिसीलिये गांधीजी अहिंसाका आग्रह करते थे और यह भी स्पष्ट करते रहते थे कि अहिंसाका अर्थ एक विशेष प्रकारकी जीवन-प्रणाली है।

जब तक मनुष्य मनुष्यतापूर्वक रहना और आचरण करना नहीं सीखता, तब तक अहिंसक समाज नहीं बन सकता। दूसरे, केवल मनुष्य और मनुष्यके बीचमें ही नहीं, मनुष्य और दूसरे चेतन प्राणियोंके बीचमें भी सहानुभूति और आत्मोपम्यका भाव होना चाहिये। जीवनको अुसके समग्र रूपमें देखना चाहिये और अुसी दृष्टिसे अुसका नियमन होना चाहिये। जीवनके एक-दूसरेसे वियुक्त स्वतंत्र खंड नहीं हैं और न अुस तरह अुसका विचार ही किया जा सकता है।

(अंग्रेजीसे)

* 'विजिल', ९ अप्रैल, १९५५ से।

विषय-सूची		पृष्ठ
गोरक्षा और गोवध	गांधीजी	७३
नयी आर्थिक नीतिके सिद्धान्त - २		७४
अ० भा० नौकरियोंकी परीक्षाओंका माध्यम	मगनभाई देसाई	७६
सेवाकार्य, व्यक्ति और संस्था	मगनभाई देसाई	७७
अुड़ीसामें विनोबा - ३	कु० दे०	७९
कांग्रेसका प्रस्ताव		८०
मनुष्य और अणु-बम		८०